

ईडी की रिकॉर्ड रेड, गिरफ्तारी में आई कमी

► 2892 छापे, संपत्ति जब्ती और रिफंड में बड़ा उछाल

नई दिल्ली, 03 मई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट ने एजेंसी की कार्यशैली में आए बड़े बदलाव और बढ़ती सक्रियता को सामने रखा है. इस अवधि में ईडी ने कुल 2,892 छापेमारी की, जो पिछले वर्ष के 1,491 छापों की तुलना में लगभग दोगुनी है. यह आंकड़ा एजेंसी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है.

छापेमारी में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद गिरफ्तारियों की संख्या में कमी आई है. वर्ष 2025-26 में ईडी ने 156 लोगों को गिरफ्तार



किया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 214 और उससे पहले 272 थी. इस प्रकार गिरफ्तारियों में लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. एजेंसी के अनुसार, अब वह व्यापक छापेमारी के साथ-साथ अधिक सटीक और साक्ष्य आधारित जांच पर जोर दे रही है, जिससे केवल ठोस मामलों

में ही गिरफ्तारी की जा रही है. संपत्ति अटैचमेंट के मामले में भी ईडी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने 712 प्रॉविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए कुल 81,422 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. यह पिछले वर्ष के 30,036 करोड़ रुपये के मुकाबले 171 प्रतिशत

अधिक है. ये अटैचमेंट पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा है, जिन्हें बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा पुष्टि मिलने पर स्थायी रूप दिया जाता है. पीडितों को धन वापसी के मामलों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. ईडी ने करीब 32 हजार करोड़ रुपये की राशि संबंधित पक्षों को लौटाई, जो वित्तीय अपराधों से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत है. ईडी की रणनीति में यह बदलाव एजेंसी को अधिक प्रभावी बना सकता है. केवल संख्या बढ़ाने के बजाय गुणवत्तापूर्ण जांच और मजबूत सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने से न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक मजबूत होगी.

विपक्ष कर रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर: रिजजू

नई दिल्ली, 03 मई. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजजू ने विपक्षी दलों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमले कर रहे हैं और देश की जनता उनके ऐसे प्रयासों का समय आने पर करारा जवाब देगी. रिजजू ने रविवार को सोशल मीडिया एक पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष सरकारी एजेंसियों, ईवीएम, चुनाव आयोग, मॉडिया और न्यायपालिका को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल संरचना प्रभावित होती है. कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल का उल्लेख किया.

तिरुपति लड्डू घी घोटाले में बड़ा खुलासा

बिना जांच 70 लाख किलो घी इस्तेमाल

तिरुपति/अमरावती, 03 मई. आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थान में लड्डू प्रसाद के लिए घी खरीद से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है. एक सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही का खुलासा किया है.

लगभग 70 लाख किलो घी बिना अनिवार्य गुणवत्ता जांच के खरीदा गया, जो स्थापित नियमों का गंभीर उल्लंघन है. सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई मामलों में घी का उपयोग लेब




रिपोर्ट आने से पहले ही प्रसाद निर्माण में कर लिया गया. इससे मिलावटी घी के उपयोग की आशंका बढ़ गई है, जो श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है. जांच समिति ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक विफलताओं और प्रक्रिया के उल्लंघन को मुख्य कारण बताया

है. रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इन खासियों के चलते मिलावटी घी की आपूर्ति संभव हो सकती है. इसके अलावा, समिति ने संभावित मिलीभगत की भी आशंका जताई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. रिपोर्ट में पूर्व कार्यकारी अधिकारी एबी धर्मा रेड्डी को इस पूरे मामले के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

एक नजर में

समुद्र की गहराई में भारत ने रचा नया इतिहास



पोर्ट ब्लेयर, 3 मई. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि रणनीतिक

और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है. समुद्र की गहराइयों में हाल ही में किए गए अनुसंधान और तकनीकी अभियानों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है. भारतीय नौसेना, वैज्ञानिक संस्थानों और समुद्री शोधकर्ताओं की संयुक्त टीम ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए समुद्र की गहराइयों में विस्तृत अध्ययन किया. इस अध्ययन में रिमोट सेंसिंग, अंडरवाटर ड्रोन और एडवांस्ड सोनार सिस्टम का उपयोग किया गया, जिससे समुद्र तल की संरचना, खनिज संसाधन और जैव विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई. इन खोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें सही दिशा में उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संसाधनों को मजबूत किया जा सकता है. इसके साथ ही, समुद्री सुरक्षा को भी नई मजबूती मिली है, जिससे भारत की समुद्री सीमाएं अधिक सुरक्षित और निगरानी में सक्षम हो गई हैं. अंडमान-निकोबार क्षेत्र अब भारत के लिए एक समुद्री प्रयोगशाला के रूप में विकसित हो रहा है, जहां लगातार नए प्रयोग और शोध किए जा रहे हैं. इसके अलावा, यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और संरक्षित करने में मदद मिलेगी. यह प्रयास भारत के नीली अर्थव्यवस्था के विजन को भी आगे बढ़ाता है.

आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पर 2 लाख का जुर्माना

चंडीगढ़, 03 मई. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड मेजर की पेशानामे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उन दोनों की सैलरी से काटकर याचिकाकर्ता मेजर राजदीप दिनकर पांडे को दिया जाएगा. कोर्ट ने यह आदेश 30 अप्रैल को दिया, जब दोनों अधिकारियों ने कोर्ट और ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं किया था. रिटायर्ड मेजर पांडे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें सेवा के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं और उनके बाद कई सर्जरी की गईं. पांडे को 15 प्रतिशत दिव्यांगता का सामना करना पड़ा था, लेकिन पेंशन के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने चंडीमंदिर आर्मड फोर्सिंग ट्राइब्यूनल की सिफारिशों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो उनके पक्ष में थे. ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा था कि पांडे को दिव्यांगता सैन्य सेवा के दौरान ही हुई थी और उन्हें उच्च दिव्यांगता श्रेणी में रखा जाना चाहिए था. 12025 में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद, पांडे ने कोर्ट-पिटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

हिमाचल में बदला मौसम, कई राज्यों में अलर्ट

► उत्तर भारत में बारिश बर्फबारी का अलर्ट

► कई राज्यों में तेज हवा बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली, 03 मई. उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. विशेष रूप से शिमला और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं और तापमान में



गिरावट दर्ज की गई है. इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 3 से 6 मई के बीच

गरज के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इससे पेड़ों के गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है. पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है.

सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 3 से 5 मई के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इसी तरह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने इन राज्यों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है. मौसम में आया यह बदलाव जहां एक ओर गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ा रहा है.

गंगा में 5 बच्चों की डूबने से मौत

उत्तर प्रदेश, 03 मई. उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रविवार शाम एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जब गंगा नदी में नहाने गए पांच बच्चे डूब गए.

यह घटना उसहैत थाना क्षेत्र की है, जहां बच्चे नहाने के दौरान अचानक गहराई में चले गए और एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में सभी पानी के तेज बहाव में फंस गए. हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसका शव बाद में बरामद कर लिया गया. वहीं, दो सगे भाई अभी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे एकत्र हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और दो बच्चों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया. दोनों को नजदीकी अस्पताल में



भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद गोताखोरों की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. बचाव कार्य को और तेज करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है.

45 हजार टन एलपीजी लेकर बढ़ा सुपर टैंकर

नई दिल्ली, 03 मई. भारत को एलपीजी गैस संकट से राहत देने के लिए एक सुपर टैंकर, सर्वशक्ति, 45 हजार टन एलपीजी लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर चुका है और अब भारत की ओर बढ़ रहा है.

यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ईरान से गुजरने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर रखी थी. इस टैंकर का गुजरना एक बड़ी सफलता है क्योंकि अमेरिका ने पहले चेतावनी दी थी कि जो कंपनियां होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए ईरान को शुल्क देंगी, उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.

होर्मुज को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे- ईरान

तेहरान, 3 मई. मध्य पूर्व में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव तेजी से बढ़ रहा है. ईरान के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजाई ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यह जलडमरूमध्य अमेरिकी सेना के लिए 'कब्रगाह' साबित हो सकता है. रजाई ने अमेरिका को 'समुद्री लुटेरा' बताते हुए कहा कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन वह क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है. उन्होंने हाल ही में इस्फहन में गिराए गए एए-15 फाइटर जेट का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य ताकत को इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी

समुद्री मार्ग से आ रहा है और इसका चालक दल भी भारतीय है. इससे पहले गरिमा नामक एक टैंकर ने भी मुंबई पोर्ट पर तेल की आपूर्ति की थी. इसके बाद, भारत को गैस की इस आपूर्ति से राहत मिलेगी, खासकर उस समय जब देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी हो रही है.

1594 राजनीतिक नियुक्तियां हुई रद्द

► राष्ट्रपति पौडेल के आदेश से प्रशासन में उथल-पुथल

► नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह का बड़ा फैसला

काठमांडू, 03 मई. नेपाल सरकार द्वारा किए गए हालिया प्रशासनिक बदलाव ने नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है. शनिवार को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 1,594 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया. ऑर्डर में स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ पब्लिक ऑफिसियल्स फ्रॉम ऑफिस, 2026 के तहत 26



मार्च से पहले की गई सभी सरकारी नियुक्तियों स्वतः समाप्त हो जाएंगी, चाहे उनके शर्तें या लाभ कुछ भी हों. इस फैसले ने नेपाल के प्रशासनिक ढांचे में भारी उथल-पुथल पैदा कर दी है. विभिन्न विश्वविद्यालयों, सरकारी कंपनियों, नियंत्रक इकाइयों, परिषदों और मीडिया संगठनों के प्रमुख अधिकारियों को हटा दिया गया है, जिससे इन

संस्थाओं में कार्यों में रुकावट आ सकती है. नए नेतृत्व की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है, जिससे इन संस्थाओं के संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह कदम प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की नेतृत्व वाली सरकार ने उठाया है, जिसने हाल ही में हुए चुनावों में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की थी. इस चुनावी विजय के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से विवादास्पद रहे हैं. राष्ट्रपति पौडेल द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद, प्रशासन में और भी ज्यादा पैदा हो गई है. कुछ लोग इसे नए सरकार द्वारा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश मान रहे हैं.

लेबनान के 12 गांवों को खाली कराया

आईडीएफ का हिज्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी

बेरूत, 03 मई. दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में इजरायली गोलाबारी से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. इजरायली डिफेंस फोर्सिंग (आईडीएफ) ने हाल ही में 12 कस्बों और गांवों के निवासियों को चेतावनी दी थी कि वे अपनी सुरक्षित जगहों पर पलायन करें. इस चेतावनी के बाद, गोलाबारी के बीच इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं. यह हमला मुख्य रूप से टायर जिले के फरुन और चंद्रियेह नगरपालिकाओं के साथ-साथ अल-मंसूरी, कलाइला और माजदल जौन की पहाड़ियों के बाहरी क्षेत्रों को निशाना बनाकर



किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, गोलाबारी में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. इन घटनाओं से यह प्रतीत हो रहा है कि इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सैन्य

कार्रवाई की दिशा में स्थिति व जटिल हो सकती है. इससे पहले, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 12 इलाकों में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी और निवासियों से कहा था कि वे अपने घरों से 1,000 मीटर दूर शिफ्ट हो जाएं. इस चेतावनी को हिज्बुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जो पहले से चल रहे संघर्ष को और बढ़ा सकता है.

न्यूयॉर्क, 03 मई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया भर में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने और सच्चाई बताने वालों को सुरक्षित रखने का आह्वान किया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना मानवाधिकार, निरंतर विकास और

शांति की कल्पना नहीं की जा सकती. श्री गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में कहा कि तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी है. इसके बिना न तो मानवाधिकार संभव हैं, न ही शांति.

आइए हम पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सच बोलने वाले सुरक्षित रहें. महासचिव का



यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएफएफ) द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में वैश्विक स्तर पर अजादी की स्थिति को लेकर बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है. सूचकांक के 25 साल के इतिहास में पहली बार दुनिया के आधे से अधिक देशों

(52.2 प्रतिशत) को प्रेस स्वतंत्रता के मामले में कठिन या गंभीर श्रेणी में रखा गया है. साल 2002 में यह आंकड़ा महज 13.7 प्रतिशत था. आरएफएफ की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 के सूचकांक में दुनिया के 180 देशों और क्षेत्रों का औसत स्कोर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.

विमान में इमरजेंसी दरवाजा खोलने पर हुआ गिरफ्तार

► शारजाह से चेन्नई आ रही थी फ्लाइट

चेन्नई, 03 मई. रविवार को शारजाह से चेन्नई आ रही एयर अरबिया की फ्लाइट में एक बेहद चौंका देने वाली घटना सामने आई. विमान के टैक्सिवे पर चलते समय एक 34 वर्षीय यात्री ने अचानक इमरजेंसी एजिजेंट गेट खोल दिया, जिससे विमान के कॉकपिट में चेतावनी का अलार्म बजने लगा.

इस घटना ने सभी को चौंका दिया, लेकिन पायलट की सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई. पायलट ने तुरंत विमान को रोका और हवाई अड्डा

अधिकारियों को सूचित किया. विमान उस समय पूरी तरह से रुक चुका नहीं था, और अगर इमरजेंसी गेट खुलने की स्थिति में विमान ने गति पकड़ ली होती, तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे. यात्रियों और कर्बन के लिए यह एक बेहद तनावपूर्ण क्षण था. इमरजेंसी गेट का अनधिकृत रूप से खोला जाना एक गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे विमान के दबाव पर असर पड़ता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएस्एफ के जवान तुरंत कार्रवाई में जुट गए. सुरक्षा बलों की एक टीम, जिसमें बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ भी शामिल थे.

कार्यालय कार्यालय नयी, लोक निर्माण विभाग (म/प) खरगोन संभाग खरगोन

web site : www.mp.gov.in/pwdmp / E-mail: eepwdkhargone@mp.nic.in Phone No. 07282-231213

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 07/ व.ले.लि. / 2026-2027 खरगोन / दिनांक 30/04/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देख जा सकता है।

क्र. सं.	टेंडर नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	टेंडर की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	2026_PWDR_504338_1	उपसंभाग खरगोन के अंतर्गत सड़क, भवन एवं हवाई पट्टी हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य।	07.00	14000/-	2000/-	अनुभवी/डी.पी.आर.की/संकीर्ण	12 माह वर्षाकाल सहित
02	2026_PWDR_504339_1	उपसंभाग खरगोन के अंतर्गत न्यायालय भवन खरगोन गैर आवासीय भवनों एवं अन्य गैर आवासीय भवन में ए.आर./ए.स. आर./एम.ओ.अब्ज्यू./सिआजिट/अनुसूचना कार्य।	19.90	39800/-	2000/-	अनुभवी/डी.पी.आर.की/संकीर्ण	12 माह वर्षाकाल सहित
03	2026_PWDR_504340_1	उपसंभाग खरगोन के अंतर्गत बिस्टान सिविल टेनमेंसली मार्ग के किमी 2/7-8-9-8, 20/2 कुल लंबाई 1.00 किमी में अस्फाल्ट कार्य।	15.30	30600/-	2000/-	अनुभवी/डी.पी.आर.की/संकीर्ण	12 माह वर्षाकाल सहित
04	2026_PWDR_504341_1	उपसंभाग मण्डलेश्वर के अंतर्गत शैवालसीय भवनों में रंगाई-पुनर्गई का कार्य।	19.90	39800/-	2000/-	अनुभवी/डी.पी.आर.की/संकीर्ण	12 माह वर्षाकाल सहित
05	2026_PWDR_504342_1	उपसंभाग मण्डलेश्वर के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों में रंगाई-पुनर्गई का कार्य।	19.90	39800/-	2000/-	अनुभवी/डी.पी.आर.की/संकीर्ण	12 माह वर्षाकाल सहित
योग			82.00				

- निविदा प्रपत्र से संबंधित समस्त विवरण बिना शुल्क के वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाईन पेंडेंट करने के पश्चात बिड डॉक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
- निविदा प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, 2. अनेन्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट। विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र ऑनलाईन कय करने की दिनांक 01.05.2026 सुबह 10.00 से दिनांक 18.05.2026 सयं 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सभी दस्तावेज ऑनलाईन स्वीकार होंगे। भौतिक रूप से एक.डी.आर. स्वीकार नहीं होंगे। (इंजी. आकाश दुबे) कार्यालय नयी, कार्यालय विभाग, (म / प) खरगोन संभाग खरगोन
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जावेगा।

G12379/26

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

रतलाम, दिनांक 28.04.2026

ई-निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑन लाईन वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समाप्ति एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	503814	Construction of Pump House at Mahaveer Nagar OHT Campus Ratlam as per Estimate and Condition (उपम आमंत्रण)	1-120 Days 2-12,30,000/-	1- 2,000/- 2- 24,600/-	1- 28/05/2026 15:30

नोट :- निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेब साईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यालय नयी जलप्रदाय नगरपालिक निगम, रतलाम

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरुग्राम -122015 (हरियाणा)

फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customer@shubham.co, वेबसाइट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिव्किरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिव्किरिटी इंडस्ट्र एक्ट, 2002 एवं के साथ संप्रति सिव्किरिटी इंडस्ट्र (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ संप्रति धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुनर्गुप्तान हेतु नोटिस जारी किया था। ऋणकर्ता राशि का पुनर्गुप्तान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विधि रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा। ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समस्त सामग्री में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ऋण खाता क्र.	ऋणकर्ता (क) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति	वस्था की तिथि
1	लोन नं. OMSR250100				